

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	अशोक कुमार हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	बनाम बद्रीनारायण	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
-------------	--	---------------------	--

09/01/2026

पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित | अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 16/01/2026 को पेश हो |

16/01/2026

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई | संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया, जिसके पश्चात अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी प्रस्तुत किया गया, जिस पर अपीलार्थी/वादी ने जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी प्रस्तुत किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 11/07/2025 पारित करते हुए प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी स्वीकार कर वादी का वाद खसरा नम्बर 434/360 रकबा 0.55 की हद तक बार्ड बाई लॉ होना धारित करते हुए खारिज फरमा दिया गया | जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी है | जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी |

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादअधीन आराजीयात वादी के दादा की स्व.अर्जित भूमि होना तथ्यों से स्पष्ट होने के आधार पर वादी का वाद बार्ड बाई लॉ होना धारित कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के माध्यम से खारिज किया गया है, जिसमे कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी प्रतीत नहीं होती है | अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 11/07/2025 विधिसम्मत जाहिर होने से यथावत रखा जाकर अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 16/01/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर